केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/268 दिनांक: 23.10.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00236
CICOM/R/2018/00810

अपीलकर्ता : श्री दीपक कुमार,
ग्राम व पो० – ओरिया,
थाना – मुफ्फसिल, जिला – हजारीबाग,
झारखंड- 825303.

निर्णय की तारीख: 23.10.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	02.08.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	20.08.2018, 21.08.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा, श्री आर. पी. ग्रोवर
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	05.10.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	475/16.10.2018 (4115/15.10.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 02.08.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु सं. 1 एवं 2 से संबंधित सूचना प्रदान किया गया एवं बिंदु सं. 3 से 5 तक से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु आवेदन श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय को अग्रसारित कर दिया गया। अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया है कि वह बिंदु सं. 1 एवं 2 से संबंधित प्रदान की गई सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तथा उन्हें बिंदु सं 3 से 5 तक की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा बिंदु सं. 1 एवं 2 के संदर्भ में पत्र सं. CICOM/R/2018/00810 दिनांक 20.08.2018 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा आवेदन के बिंदु सं. 3 से 5 के संदर्भ में श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा पत्र सं. CICOM/R/2018/00810 दिनांक 20.08.2018 के माध्यम से प्रदान की गई सूचना भी बिल्कुल तथ्यानुसार है, परन्तु भूलवश श्री आर. पी. ग्रोवर द्वारा गलत पते पर सूचना प्रेषित हो गई है। अतः श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को उनके सही पते पर सूचना प्रेषित की जाए।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
24 OCT 2018
D. No.
Initials

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्री आर. पी. ग्रोवर, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं उप-पंजीयक, सूचना आयुक्त-वाई.ए. कार्यालय, के.सू.आ., नई दिल्ली।